आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश पर की गई कार्यवाही

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0आर0 वाद संख्या– 05/2019–20
तपन कुमार मित्रा
–बनाम–
कृष्णा मित्रा मजुमदार वगै0

08.04.22

आवेदक :–(1). तपन कुमार मित्रा, पिता–स्व0 अनिल कुमार मित्रा, सा0–बेवा, थाना–फरक्का, जिला–मुर्शीदाबाद (प0बं0)।

उत्तरवादी :– (1). कृष्णा मित्रा मजुमदार, पति–स्व0 सत्यनारायण मित्रा,
(2). संचिता मित्रा मजुमदार, पिता– सत्यनारायण मित्रा, दोनों सा0–लरकनियाटोला, भेमिकपाड़ा, थाना–कटिहार, जिला–कटिहार,
(3). सोफिजुल शेख, पिता–स्व0 कलीमुद्दीन, सा0–बेवा, थाना–फरक्का, जिला–मुर्शीदाबाद (प0बं0)।
(4). उप समाहर्त्ता, भुमि सुधार, राजमहल।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद आवेदक तपन कुमार मित्रा, पे0–स्व0 अनिल कुमार मित्रा,, सा0–बेवा, थाना–फरक्का, जिला–मुर्शीदाबाद (प0बं0) के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के नामांतरण अपील वाद संख्या 02/2018–19 में दिनांक 29.11.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध संशोधन (Revision) वाद दायर किया गया। वाद को स्वीकृत करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया एवं विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल से मूल अभिलेख की माँग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। विपक्षी उपस्थित।

विपक्षी संख्या–02 संचिता मित्रा मजुमदार बार–बार पुकार पर अनुपस्थित रहने के कारण एक तरफा सुनवाई कर निर्णय लिये जाने के उपरांत सुनवाई प्रारंभ की गयी। लिखित बयान भी दाखिल किया गया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि लिखित बँटवारा नहीं हुआ है, जिसका जिक्र अंचल अधिकारी के आदेश फलक जो 04.08.2017 का है में अंकित किया गया है कि विपक्षीगण की ओर से दायर म्यूटेशन अपील की कंडिका में यह स्पष्ट किया गया है कि खुदामुनी दासी निर्विवाद रूप से 124 बीघा भूमि की स्वत्वाधिकारिनी थी और निबंधित दस्तावेजों के माध्यम से जिसकी संख्या 309 दिनांक 05.04.1937 है के द्वारा नरेन्द्र कुमार मजुमदार एवं अनिल कुमार मजुमदार, पिता–ज्ञानेन्द्र मजुमदार को बराबर–बराबर दान–पत्र निष्पादित की दी है। अचानक

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अ गइ

04.04.1945 को विपक्षी संख्या–01 की ओर से जालसाजी कर जाली बँटवारानामा जो 1945 का है बहस के उपरांत दाखिल किया गया तथा जाली बँटवारानामा को आधार बनाया है।

मौजा–अबराटोला, जमाबंदी नं0–31, दाग नं0–507, 215, 513, 479 का कुल रकवा 17–10–17 धूर निबंधित दान–पत्र संख्या 309 दिनांक 05.04.1937 के माध्यम से दिया गया, जिसमें दाग नं0–479 के रकवा का आधा हिस्स 08–12–08 धूर निबंधित केवाला संख्या 657/1949 द्वारा नरेन्द्र कुमार मजुमदार ने खुदा बक्स शेख को विक्रय किया गया। मौजा अन्तर्गत अवशेष भूमि जो दाग नं0–507, 215 एवं 513 है का रकवा 08–18–00 धूर नमांतरण हेतु आवेदित किये जाने पर विपक्षी संख्या–01 की ओर से उसकी पुत्री संचिता मित्रा ने उपस्थित होकर स्वीकार की है कि अपने अंश रकवा 08–12–08 धूर जमीन बिक्री किया एवं अवशेष भाग नामांतरण हेतु अनुरोध किया गया, जिसका कोई लिखित बँटवारा पक्ष एवं विपक्ष के बीच नहीं हुआ है। अंचल अधिकारी, बरहरवा के नामांतरण वाद संख्या 26/2017–18 में जाँच प्रतिवेदन में भी आवेदक का दखल पाया गया है के आधार पर स्वीकृत किया गया, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा Set-a-side किया गया।

विपक्षी संख्या–03 ने आम मुख्तारनामा के आधार पर म्यूटेशन अपील वाद संख्या 02/2018–19 दायर किया लेकिन उक्त आम तुख्तारनामा में जो भूमि का जिक्र किया गया है वो मौजा–अबराटोला से सम्बद्ध नहीं है। आम मुख्तारनामा देने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी उपयोगिता नहीं रह जाती है, जो अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अतएव अपील को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी के नामांतरण आदेश को बहाल किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या–01 एवं 02 की ओर से लिखित बयान से यह अवगत कराया है कि मौजा–अबराटोला, जमाबंदी नं0–31, दाग नं0–215, 507, 513 एवं 479 का कुल रकवा 13–10–17 धूर जमीन खुदीमुनी दास्या के नाम से खतियान में दर्ज हे, जो नावल्द थी। उस जमीन के अलावे अन्य जमीन नरेन्द्र मजुमदार, अनिल मजुमदार को निबंधित दान–पत्र संख्या 309/1937 के द्वारा दान दिया गया।

दिनांक 04.04.1945 को हुये बँटवारा के माध्यम से खुदीमुनी दास्या के कुल जमीन में से नरेन्द्र कुमार मजुमदार को 29–06–13 धूर एवं अनिल कुमार मजुमदार को 29–06–00 धूर जमीन प्राप्त हुआ। आपसी बँटवारा में नरेन्द्र कुमार मजुमदार को मौजा अबराटोला, जमाबंदी नं0–31, दाग नं0–215, 507, 513 एवं 479 में कुल रकवा 17–10–17 धूर जमीन प्राप्त है, जिसमें अनिल कुमार मजुमदार को कोई अंश प्राप्त नहीं है के कारण नरेन्द्र कुमार मजुमदार के वंशज दखलकार है। नरेन्द्र कुमार मजुमदार द्वारा मौजा–अबराटोला की भूमि दाग नं0–479 का रकवा 08–12–00 जमीन खुदाबक्स शेख के पास बिक्री किये जाने के उपरांत 08–00–09 धूर जमीन स्व0 नरेन्द्र कुमार मजुमदार के पुत्र–बधु जो विपक्षी संख्या–1 है, के दखल भोग में है।

जोत आबाद हेतु विपक्षीगण 01 एवं 02 द्वारा अपनी जमीन की देखभाल हेतु सफीकुल शेख को पॉवर ऑफ एटर्नी देकर अधिकृत किया गया है।

आवेदक ने मौजा अबराटोला की भूमि संबंधित नामांतरण हेतु नामांतरण वाद दाखिल किया, जिसकी जानकारी विपक्षीगण 1 एवं 2 को प्राप्त होने पर लिखित रूप में आपत्ति दर्ज की गयी, लेकिन आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया। नामांतरण आदेश के विरूद्ध नामांतरण अपील वाद उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, राजमहल

	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
एवं य	2	

के न्यायालय अन्तर्गत वाद संख्या 02/2018–19 दायर किये जाने के उपरांत निम्न न्यायालीय आदेश को Set-a-side करते हुए पुनः नामांतरण हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु निदेशित किया गया। अधिकृत मुख्तारनामा धारक सफीकुल शेख ने फौजदारी वाद राजमहल कोर्ट में दायर किया है, जिसकी संख्या 324/2021 है, जो लंबित है। उपरोक्त के आधार पर अपील खारिज किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, उभय पक्षों द्वारा दाखिल लिखित अभिकथन एवं अभिलेख के अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि :–

1. मौजा अबराटोला, थाना नं0–131 जमाबंदी नं0–31, दाग नं0–215 रकवा 00–12–02 धूर, दाग नं0–507 रकवा 06–07–13 धूर एवं दाग नं0–513 रकवा 01–18–14 धूर कुल रकवा 08–18–09 धूर जमीन के नामांतरण से संबंधित है।
2. मौजा–अबराटोला, जमाबंदी नं0–31, दाग नं0–215, 507, 513 एवं 479 का कुल रकवा 17–10–17 धूर जमीन खुदीमुनी खतियानी रैयत है, जो नावल्द है।
3. खुदीमुनी दास्या नावल्द रहने के कारण भूमि निबंधित दस्तावेज संख्या 309 दिनांक 05.04.1937 के द्वारा नरेन्द्र कुमार मजुमदार एवं अनिल कुमार मजुमदार, पिता–ज्ञानेन्द्र चन्द्र मजुमदार को बराबर–बराबर दान–पत्र निष्पादित किया गया है, जो उचित नहीं है।
4. विपक्षीगण के पूर्वज द्वारा मौजा–अबराटोला की भूमि जमाबंदी नं0–31, दाग नं0–507, 215, 513 एवं 479 का कुल रकवा 17–00–17 धूर अन्तर्गत 08–12–08 धूर निबंधित केवाला संख्या 657/1949 द्वारा नरेन्द्र कुमार मजुमदार द्वारा खुदाबक्स शेख को विक्रय किया गया।

अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि खतियानी रैयत को नावल्द रहने की स्थिति में वर्ष 1937 एवं 1949 में विक्रय केवाला एवं दान–पत्र को सत्यापन किया जाना मुश्किल है एवं उपरोक्त दस्तावेज संदेहास्पद प्रतीत होता है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरान्त अपील आवेदन को खारिज किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, बरहरवा के नामांतरण वाद संख्या 26/2017–188 में दिनांक 30.08.2017 को पारित आदेश तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल के नामांतरण अपील वाद संख्या 02/2018–19 में दिनांक 29.11.2018 को पारित आदेश अपास्त करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल को आदेश दिया जाता है कि मौजा–अबराटोला, थाना नं0–131, जमाबंदी नं0–31 के सभी दागों को जाँचोपरान्त फौत घोषित करते हुए पंजी में दर्ज करें। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल को भेजें। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

8/4/22

उपायुक्त
साहेबगंज।

8/4/22

उपायुक्त
साहेबगंज।

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 4	आदेश पर की गई कार्यवाही

ज्ञापांक 397 /डी0बी0, साहेबगंज, दिनांक 02.08.2023

प्रतिलिपिः– उभय पक्षों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, साहेबगंज।

Digitally signed by RAMNIWAS YADAV
Date: 2023.08.03 12:52:51 +05:30
Location: 192.168.29.219